दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः एफ.5 (कोष) सामान्य/ 1012-1058 दिनांक 25-1-2012

कार्यालय आदेश

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर तथा कोषालयों/ उपकोषालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभाग स्तर पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को विभागाध्यक्ष की ओर से प्रशंसा–पत्र देकर पुरस्कृत करने की योजना 26 जनवरी, 2012 से प्रारम्भ की जा रही है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत करने हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :–

1. **निदेशालय स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी के लिए–**

   (1) आवंटित कार्य को निर्धारित समय पर उत्कृष्टता, लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से सम्पादित किया जाना
   (2) समय पाबन्दी एवं अन्य अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार में उत्कृष्टता
   (3) उच्चाधिकारियों के निर्देशों/आदेशों /कार्यालय क्रिया कलाप की यथा–समय क्रियान्विति
   (4) विभाग के कार्यों से सम्बन्धित विशेष उपलब्धियाँ
   (5) विभाग से सम्बन्धित किसी विशेष प्रोजेक्ट के कार्य की कुशलतापूर्वक क्रियान्विति

2. **कोषालय /उपकोषालय स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी के लिएः–**

   (1) आवंटित कार्य को निर्धारित समय पर उत्कृष्टता, लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी से सम्पादित किया जाना
   (2) समय पाबन्दी एवं अन्य अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार में उत्कृष्टता
   (3) उच्चाधिकारियों के निर्देशों/आदेशों /कार्यालय क्रिया कलाप की यथा–समय क्रियान्विति
   (4) विभाग के कार्यों से सम्बन्धित विशेष उपलब्धियाँ
   (5) विभाग से सम्बन्धित किसी विशेष प्रोजेक्ट के कार्य की कुशलतापूर्वक क्रियान्विति

3. निदेशालय स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशंसा–पत्र दिये जाने हेतु निम्न अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाता है:–

1. निदेशक	–	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)	–	सदस्य
3. संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)	–	सदस्य
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	–	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा प्रतिवर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयों से नाम माँगे जाएंगे जो कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे। जो कमेटी द्वारा सेवा रिकॉर्ड / कार्य को देखते हुए अनुशंसा करने पर ही प्रशंसा–पत्र दिया जाएगा।

निदेशक

क्रमांक: एफ.5 (कोष) सामान्य / 1012 – 1058 **दिनांक** 25.1.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. विशेषाधिकारी, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I / II, विधि एवं जाँच, कोष एवं बजट एवं प्रशासन)
3. उप निदेशक (कोष / अल्प बचत)
4. कोषाधिकारी समस्त

निदेशक